



हर घर जल
जल जीवन मिशन

मिलकर करें काम
बनाएं जीवन आसान



जल जीवन संवाद

फरवरी, 2021

जल जीवन मिशन पर प्रधानमंत्री



“...उत्तर प्रदेश, जल जीवन मिशन यानि 'हर घर जल' पहुँचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। जब शुद्ध पीने का पानी घर पर पहुँचेगा, तो इससे अनेक बीमारियाँ वैसे ही कम हो जाएंगी।...”

नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

(16 फरवरी, 2021 को बहराइच में वित्तीरा झील के महाराजा सुहेलदेव स्मारक और निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी के सम्बोधन से लिया गया उद्धरण)



...Jal Jeevan Mission has connected over **34 million** households with tap connections in just about 18 months...

Narendra Modi
Prime Minister

(Extract of PM's speech at World Sustainable Development Summit on 10th February, 2021)

राज्य सभा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण
पर धन्यवाद प्रस्ताव, 8 फरवरी, 2021



“

...जैसे अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी - इतने कम समय में तीन करोड़ परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुँचाने का, नल कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो।...

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

”



...पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी, लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।...

नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

(20 फरवरी, 2021 को नीली अयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी के सम्बोधन से उद्धृत)

जल जीवन मिशन पर केंद्रीय मंत्री



जागरण

साकार होता स्वच्छ जल का सपना: कई राज्यों में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया



देश के 6.56 करोड़ ग्रामीण आवासों तक नल से पेय जल पहुंचाया जा चुका है।

भारतवर्ष में आम जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को राक्षक करने वाले इस जनक का लक्ष्य आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समाधान तलाशना है।

Publish Date: | Sat, 13 Feb 2021 01:34 AM (IST) Author: Bhupendra Singh

[गजेंद्र सिंह शेखावत]: सपनों को संजोना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उन्हें साकार करना, लेकिन विगत छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सपनों को संजोया, उन्हें साकार होते भी हम सब देख रहे हैं- चाहे वह हर घर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का निर्माण करना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना। समय रहते इन सभी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसी सोच और संकल्प के साथ स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 3.6 लाख करोड़ रु की जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना की घोषणा की, जिसका संकल्प वर्ष 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। हर गांव, हर घर तक स्वच्छ जल को पहुंचाना उतना ही कठिन था, जितना एक चींटी का पहाड़ चढ़ना, लेकिन अगर दृढ़ता और संकल्प हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। एक फरवरी को संसद में पेश बजट (2021-22) में भी इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की सोच को साकार करने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है।

देश के 6.56 करोड़ ग्रामीण आवासों तक नल से पेय जल पहुंचाया जा चुका

बचपन में मैंने राजस्थान में माताओं-बहनों को सिर पर गटकी उठाए कोसों दूर चलकर पानी लाते देखा है। तब सोचता था कि इस देश में वह दिन कब आएगा, जब देश के हर घर में नल की व्यवस्था होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन परिस्थितियों को मैं देखता आया हूं, उन्हें दूर करने में मेरा भी योगदान होगा। प्रधानमंत्री ने 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल में जलशक्ति मंत्रालय की नींव रखी और मुझे इस मंत्रालय का दायित्व सौंपा। कोविड-19 महामारी के बावजूद बीते एक वर्ष में हमने देश के 3.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिये नल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जबकि आजादी के बाद अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को ही पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। 1 फरवरी 2021 तक देश के 6.56 करोड़ ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। प्रतिदिन दो लाख से अधिक घर जल जीवन मिशन से जुड़ रहे हैं।

पहाड़ी राज्यों में भी घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम हुआ

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर बने घर हों या फिर हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सीमा से महज 10 किमी की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा (15,256 फीट) मतदान केंद्र दक्षीगंगा। राज्य सरकारों के सहयोग से हमारी सरकार ने वहां भी घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम किया है। अब लोगों को मीलों का पैदल सफर तय नहीं करना पड़ता है। दक्षीगंगा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाना सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से हमारे विभाग ने इसे कर पाने में सफलता प्राप्त की है।

गोवा और तेलंगाना ने हर घर नल से जल के लक्ष्य को हासिल कर लिया

गोवा और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सौ प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। आज देश के 52 जिलों, 660 ब्लॉकों, 39317 ग्राम पंचायतों और 73890 गांवों में हर घर नल से जल के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने इन राज्यों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे समय से पहले ही साकार कर लिया गया है।

2024 तक देश के सभी ग्रामीण आवास नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे

बिहार, पुडुचेरी ने 2021, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ने 2022, अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ ने 2023 और असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने 2024 तक सभी ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस तरह 2024 तक देश के सभी 19.04 करोड़ ग्रामीण आवास नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे।

[...आगे पढ़ें](#)



मिशन निदेशक की कलम से...

नई दिल्ली
फरवरी, 2021

केंद्रीय सरकार की पानी, स्वच्छता और सफाई (वाश) सेवाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ, जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव है, 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और आवंटन में वृद्धि की गई है। यह 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021-22 में 50,011 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य के समतुल्य हिस्से में वृद्धि और स्थानीय ग्रामीण निकायों या पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के 60% अनुदान निर्धारण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने पर जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 2021-22 में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश होगा, जो अगले 3 वर्षों में और बढ़ने वाला है। अब तक, लगभग 20 हजार करोड़ रुपये सालाना पानी की आपूर्ति परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। निवेश में इस तरह की वृद्धि क्षेत्र की महता और आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों की मात्रा को दर्शाती है। यह सरकार की प्राथमिकता का भी प्रतीक है कि दूर-दराज से पानी लाने के उनके बोझ को दूर करके महिलाओं और लड़कियों के कड़े परिश्रम को कम करने हेतु हर घर में साफ-सुथरा पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो और गांवों में लोगों के जीवन में सुगमता बढ़े।

योजना के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत, लगभग 12.50 करोड़ घरों में 2024 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि हर साल 3 करोड़ से अधिक घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, उद्यमियों, निष्पादन एजेंसियों, कुशल कामगारों, गैर सरकारी संगठनों आदि से लेकर जल आपूर्ति से जुड़े सभी हितधारकों को एक व्यापक अवसर प्रदान करता है। इस तरह के पैमाने पर पानी की आपूर्ति के कार्य की योजना बनाने और तैयार करने के संबंध में 16-17 फरवरी 2021 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारक मौजूद थे और उन्होंने अपने विचार साझा किए। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और वाश विशेषज्ञों के अग्रणियों (लीडरों) ने भाग लिया और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के बारे में अपने विचार साझा किए।

जब पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए गांवों में इस तरह के परिमाण का कार्य किया जाता है, तो बहुत बड़ी संख्या में कुशल श्रमशक्ति - राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पंप ऑपरेटर आदि की आवश्यकता होती है, ताकि पानी की आपूर्ति और ग्रे वाटर के शोधन तथा पुनः उपयोग के लिए प्रणालियों की व्यवस्था की जा सके और बिना किसी व्यवधान के इसकी कार्यशीलता सुनिश्चित की जा सके। यह स्थानीय लोगों को उनके कौशल को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के अवसर प्रदान करता है। यह अनुमान है कि अगले 3 वर्षों तक कार्य करने के लिए लगभग 25 लाख कुशल और अर्ध-कुशल व्यक्तियों के कार्यबल की आवश्यकता होगी। ऐसे कुशल लोगों को भी अवसर मिल सकते हैं, जो उद्यमी कौशल के साथ गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेते हैं।

पेयजल आपूर्ति कार्यों से 6 लाख गांवों में उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए आधारभूत संरचना निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न मदों जैसे घरों में पंपिंग, नल/ फासेट के लिए मोटर, वितरण नेटवर्क के लिए विभिन्न प्रकार के पाइप जैसे एमएस, डीआई, एचडीपीई, पेयजल योजनाओं के लिए शोधन तकनीक, फ्लो मीटर इत्यादि के लिए भारी मांग होगी जिससे विनिर्माण क्षेत्र में काफी तेजी आएगी। इसके साथ ही सीमेंट, रेत, ईंट, लोहा, आदि जैसी निर्माण सामग्री की आवश्यकता होगी जिसकी स्थानीय रूप से खरीद की जाएगी और परिणामतया स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद मिलेगी। इतने सारे गांवों में पानी की आपूर्ति के कार्य, काम की गुणवत्ता की जांच करने वाली निरीक्षण एजेंसियों, सीएडी-सीएएम डिजाइनरों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं आदि के लिए एक काफी बड़ा अवसर है ताकि पानी की गुणवत्ता, ग्रे वाटर, आदि की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन गांवों और ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता को मापने और निगरानी करने के लिए सेंसर आधारित आईओटी समाधान विकसित कर रहा है। सस्ती कीमत वाले स्मार्ट पोर्टेबल पानी की जांच उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि पानी की जांच गांवों में और घरों में भी की जा सके। यह नवाचार के लिए देश के युवा उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और आईटी पारिस्थितिकी-तंत्र को एक नया अवसर प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 3.66 करोड़ से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब, देश में 6.90 करोड़ (36%) ग्रामीण परिवारों के पास अपने घरों में स्वच्छ पानी की आश्वासित आपूर्ति उपलब्ध है, इस प्रकार उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और 'जीवन जीना आसान' हुआ है। लगभग 80 हजार गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित पानी मिल रहा है। अगले वर्ष में, यह सुनिश्चित करने की योजना है कि 1 लाख से अधिक गांवों और 110 जिलों में, प्रत्येक परिवार के घर में पानी की आपूर्ति उपलब्ध हो और कोई भी वंचित न रहे।

जेजेएम शानदार अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, यह कार्य को गति और कुशलता के साथ तथा बड़े पैमाने पर करने की चुनौती भी देता है। हर घर में नल के स्वच्छ पानी की दीर्घकालिक सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, हमें विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी करने और विकेंद्रीकृत योजना, समयबद्ध कार्यान्वयन तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग से नियमित निगरानी के साथ ग्रामीण स्तर पर सामंजस्यता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

इस क्षेत्र में कई दिलचस्प अध्ययन सामने आए हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसी कई कहानियाँ हैं जिन्हें हमारे अन्य सहयोगियों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जल जीवन मिशन को गति और पैमाने के साथ आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में ग्राम सभा जैसी सार्थक गतिविधियों की योजना बनाई जाए। मुझे आपकी सहायता और सार्थक योगदान का यकीन है, हम हर घर को नल जल की सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम होंगे, इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और जीवनयापन में आसानी होगी।

[भरत लाल]

अपर सचिव और मिशन निदेशक
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन पर राज्य मंत्री

‘जल जीवन मिशन: पानी के जरिए एक सामाजिक क्रांति’

हरियाणा के एक छोटे से गांव में पला-बढ़ा। एक गरीब दलित परिवार से ताल्लुक, गरीबी और बहिष्कार का ही केवल जीवन में सामना किया था। मेरी माता-पिता की दिनचर्या अपने परिवार के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करना था। मेरे पिता जुता बनाने का काम करते थे, जबकि मेरी मां एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में मेहनत करती थी। मुझे उसकी कठिन परीक्षा याद है जब, वह हर दिन बिना थके केवल पाने का पानी लेने के लिए, निर्दिष्ट कुएं तक जाती थी। अपने बच्चों के लिए पाने का पानी सुरक्षित करने के उसके संकल्प ने उसे इस प्रक्रिया में सामने आने वाली सभी शारीरिक और सामाजिक कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करने का साहस दिया।

बाद में जीवन में, मैं सौभाग्यशाली था कि हमारे गांव में पाइपलाइन कनेक्शन देखे गए, लेकिन इस बार जाति-वर्ग के आधार पर प्रतिष्ठित लाभार्थियों का चयन किया गया। गरीब और अधिकारहीन लोगों को एक बार फिर पाने के साफ पानी के अपने मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया। कई वर्ष बीत गए और वर्ष 2019 तक, हम एक राष्ट्र के रूप में, कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति प्रदान कर सके। लेकिन, स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद 2019 में

लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारों के फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘जल जीवन मिशन’ के तहत हर ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन के रास्ते पानी का कनेक्शन देने के अपने संकल्प की घोषणा की। उस ऐतिहासिक क्षण के दौरान मैं लाल किले में उपस्थित था, मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने छ गया। मुझे याद आया कि किस प्रकार से मेरी बहन का कन्यादान करने के लिए मेरे गांव की यात्रा के दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाइपलाइन के जरिए पानी के कनेक्शन को



रतन लाल कटारिया
(केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री)

प्रत्येक परिवार के लिए सम्मानित जीवन के वाहक के रूप में वर्णन किया था। उस क्षण, मैं अपने आप को नवगठित जल शक्ति मंत्रालय में सेवा करने के लिए भाग्यशाली मानता था और ‘जल जीवन मिशन’ को भगवान द्वारा भेजे गए अवसर के रूप में देखता था। प्रत्येक दिन, हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में पूरी टीम इस अभूतपूर्व कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

मैं गर्व से घोषणा कर सकता हूँ कि 1 वर्ष की अल्प अवधि में, 3.04 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी के कनेक्शन प्रदान किए हैं जबकि

आजादी के बाद से 3.23 करोड़ परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। गोवा ऐसे पहले राज्य के रूप में उभरा जिसने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज हासिल की और आज तक, 52 जिलों, 660 ब्लॉकों, 39,317 ग्राम पंचायतों और 73,890 गांवों ने ‘हर घर जल’



राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, पंप ऑपरेटर आदि की आवश्यकता होती है, जिसे संबंधित गांवों के लोगों को कौशल प्रदान करके पूरा किया जा सकता है, ताकि कुशल रोजगार के लिए यथावत योजना बनाई जा सके।

अन्त में, सूचना प्रौद्योगिकी को पानी के राष्ट्रव्यापी आंकड़ों का मिलान करने और वास्तविक समय दिखाने के लिए एक पोर्टल www.ejalshakti.gov.in पर उतारना शक्ति दी गई है।

पंजाब केसरी

हिस्तर, R.N.I. Regd. No. AF
 जलजल रेंज ऑफिस: 0181-5067200/1, 2280104/7.
Toll Free No. 18001371800
 फ़ैक्स: 0181-2280111-14, 5063750, 5030036.
 डिजिटल: 0181-5067263, 5067258.
adv@punjabkesari.in, news@thepunjabkesari.com
 संपर्क: 0181-5067251, 98151-65655.
 हिस्तर ऑफिस: 01662-22820, 22822, 22823, फ़ैक्स: 01662-22821.
 स्वयंसेवकरी डेटा कमांडर रिजिस्टर्ड सिविल लाइन्स, जालंधर के रिस मूव, प्रकाशक का स्वयंसेवक आर.एस. जी.पी. द्वारा पोस्टाईल कलर प्रिंटिंग (जे. जल जीवन मिशन) 174 कैप्टर 27 & 28 इलाहाबाद इन्डियन स्टेट डिवीज से मुद्रित तथा प्रकाशित।
 * इस अंक में प्रकाशित स्वयंसेवक के जलजल स्वयंसेवक हेतु पी.आर.बी. एक के अन्तर्गत उपलब्ध।

पंजाब केसरी
ई-पेपर

Sat, 06 February 2021
Edition: main hisar, Page no. 6

FRIDAY | 12 FEBRUARY 2021

EDIT

Budget 2021: Capturing the Pulse of the Nation

■ Mr. Rattan Lal Kataria


Last week, the Budget 2021 was tabled in the parliament under extraordinary circumstances. The new virus posed a serious challenge to our social and economic order. It tested the resilience of our health care systems, economy, governance, social structures and above all – our ability as a Nation, to react to such crisis situation. It is often said that “crisis situations are opportunities to either advance, or stay where you are. Here, I would like to appreciate the vision of our Prime Minister Sh. Narendra Modi, who realized the importance of being self-reliant in the fast evolving ‘post COVID world order’ and immediately set out a road map for turning India into Atma Nirbhar Bharat. The budget 2021 is an expression of this vision. With contraction in the economy, additional spending on welfare, widening fiscal deficit, there were twin challenges to pull back the economy to a ‘V’ shaped recovery and to secure the ‘livelihood of people’. However, the Finance Minister has come up with a brilliant budget that shall prove to be a ‘Vaccine’ for our economy.



...आगे पढ़े


प्रगति: पाइपगत जल आपूर्ति कनेक्शन वाले परिवार

(दिनांक 27.02.2021 की स्थिति के अनुसार)



तुलनात्मक प्रगति: पाइपगत जल आपूर्ति कनेक्शन वाले परिवार

(दिनांक 27.02.2021 की स्थिति के अनुसार)




India | Status of tap water supply in rural homes

| Total number of households (HHs) | Households with tap water connections as on 15 Aug 2019 | Households with tap water connections as on date |
|----------------------------------|---|--|
| 19,17,20,832 | 3,23,62,838 (16.88%) | +1,22,818 6,89,22,716 (35.95%) |

Households provided tap water connection since launch of Mission


3,65,59,878 (19.07%)

Har Ghar Jal [100 % HHs with tap water connections]



27 फरवरी, 2021 तक
स्रोत: JJM, IMIS

15 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार



0%-10%

11%-25%

26%-50%


51%-75%

76%-<100%

100%

स्रोत: JJM - IMIS

27 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार



आकांक्षा बनाये रखने के लिए सार्वजनिक निवेश

- वी.के. माधवन, मुख्य कार्यकारी, जल सहायता

पचास हजार और ग्यारह करोड़! इस संख्या को भूल जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान से अधिक बजट आवंटन में पांच गुना वृद्धि की गई है। यह 15वें वित्त आयोग की ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और स्वच्छता के लिए निवेश के लिए सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त संसाधनों को ध्यान में रखे बिना, जो सीधे पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के पास उपलब्ध होंगे।

यह हर घर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित, सुनिश्चित पानी के महत्व का प्रतिबिंब है। इस प्रयास में सफलता से न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं और किशोर लड़कियों के अत्यधिक श्रम को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी 'एजेंसी' के लिए सार्थकता को खोजने का अवसर मिल सकेगा। सफलता यह भी बताएगी कि न केवल भारत जरूरत पड़ने पर परिसर में उपलब्ध और पानी की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने वाली 'सुरक्षात्मक रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं' के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 6.1 को प्राप्त करेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकेतक के प्रति विश्व स्तर पर प्रगति को स्थानांतरित कर सकता है।

यदि कोविड-19 ने हमें कुछ भी सिखाया है, तो यह हाथ से जुड़ी स्वच्छता में पानी का महत्व है। केंद्रीय बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश के हिस्से के रूप में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में यह निवेश वर्गाकार रूप से अवस्थित किया गया है। उदाहरणार्थ, यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण बेडरॉक तैयार करने और दस्त रोग की रोकथाम के लिए पानी और स्वच्छता के महत्व की यह एक सुस्पष्ट स्वीकृति है।

ऐतिहासिक रूप से, पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की अनुपस्थिति ने नीति की महत्वाकांक्षा को बाधित किया है। केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धन की कमी कोई बाधा न होगी। राज्य सरकारों, नागरिक सोसाइटी और निजी क्षेत्रों को इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी) इस महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए केंद्रीय बिंदु हैं। मिशन, गांव की कार्ययोजना बनाने और स्थायी संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने में उनकी भागीदारी

के लिए इन संस्थानों की केंद्रीयता को मान्यता देता है। कार्यान्वयन सहायक एजेंसियों (आईएसए) को इस प्रयास में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता करने का कार्य सौंपा गया है। स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न केवल मिशन से धन की आवश्यकता होगी, बल्कि 15वें वित्त आयोग से आबंटन तथा अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्यता की आवश्यकता होगी और पीआरआई को ऐसी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में सहयोग करना होगा जो स्रोत की स्थिरता के लिए आवश्यकताओं का समाधान करती हैं।

मिशन में इस प्रकार के बदलाव की भी आवश्यकता होगी कि पीने के पानी के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग इस चुनौती का किस तरह से समाधान करते हैं। उनको समुदायों की ऐसी जरूरतों - जो उनके गांव की कार्ययोजनाओं द्वारा व्यक्त की गई हैं - को उपयुक्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से पूरा करने के लिए अधिदेशित किया गया है। ऐसा करने के लिए, उन्हें यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि जहाँ पानी का विश्वसनीय स्रोत मौजूद है वहाँ दिशा-निर्देश बसावटों को मूल इकाई के रूप में महत्व देते हों। दूसरे शब्दों में 'यह छोटा है परंतु वास्तव में सुंदर है।' इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदायों को स्थावर संपत्तियों के निर्माण और योजनाओं के बाद प्रबंधन के लिए योगदान करने की आवश्यकता है। योजनाएं जो उचित हैं और जिनमें कम निवेश की आवश्यकता है, उनसे प्रारंभिक योगदान और संचालन तथा रखरखाव की लागत के लिए समुदायों पर बोझ कम पड़ेगा। अंत में, संबंधित -विभागों को शुरुआत में 'लेट गो' की योजना बनानी होगी।

यह हमारा पल है। स्थायी परिवर्तन स्थापित करने और सुरक्षित तथा सुनिश्चित पानी के साथ घर में एक नल बनाने का अवसर, सभी के लिए आदर्श है!



जेई-ईएस स्थानिक क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत का कदम

समय और पानी के साथ, सब कुछ बदल जाता है - *लियोनार्डो दा विंची*

- *सुमित प्रियदर्शी, अंबरीश करुणानिधि*

पानी, एक जीवन देने वाला तरल, एक जीवन लेने वाला घातक तरल भी हो सकता है। दूषित पानी विभिन्न प्रकार के रोगों के संचार का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण आर्थिक और महामारी विज्ञान उपाय होने के बावजूद, संक्रामक रोग भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बने हुए हैं। ऐसी ही एक बीमारी है जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई), एक सामान्य वेक्टर जनित बीमारी है, जो ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में मौजूद है जहां चावल की खेती और सुअर पालन सह-अस्तित्व में है। अधिकांश जेई संक्रमण स्पर्शोन्मुख हैं, लेकिन यदि यह नैदानिक बीमारी विकसित होती है, तो यह गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर का कारण बनती है। इस बीमारी के फैलने से पानी की उपलब्धता और स्वच्छता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो कि इसके वेक्टर 'क्यूलेक्सविषन्यु' और 'ट्राइटिनियोरिन्हिन्चस' मच्छरों के लिए प्रजनन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रवर्धित पोषकों के माध्यम से मनुष्यों को एंटरिक-वायरस पास किया जा सके। सुअर और जंगली पक्षी संक्रमण के भंडार हैं और इन्हें संचरण चक्र में प्रवर्धित पोषक कहा जाता है, जबकि मनुष्य और घोड़ा अंतिम पोषक होते हैं। वायरस अपने प्राकृतिक पोषक के बीच किसी भी बीमारी का कारण नहीं बनता है, और मच्छरों के माध्यम से संचरण जारी रहता है। वेक्टर मच्छर 5 से 14 दिनों तक इंक्यूबेशन अवधि के साथ एक संक्रमित पोषक को काटने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को जेई वायरस प्रसारित कर सकता है। रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और गंभीर जटिलताओं, दौरे, और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है। इस बीमारी की मामला मृत्यु दर (सीएफआर) बहुत अधिक है, और जो बच जाते हैं वे विभिन्न डिग्री की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं।

भारत में इस बीमारी का निदान 1955 में तमिलनाडु में किया गया था। तब से, यह भारत के कई हिस्सों में फैल गया है। एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (ईएस) 15 साल से कम उम्र के बच्चों में उच्च बुखार, परिवर्तित चेतना, आदि गुणों वाले रोग की नैदानिक प्रस्तुति का एक सामान्य विवरण है। जेई वायरस ईएस का प्राथमिक प्रेरक एजेंट है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि भारत में कई जेई-ईएस मामले असुरक्षित पेयजल स्रोतों से फैल रहे हैं। जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए लगभग 2,204 मौतें और 15,182 मामले सूचित किए गए हैं और 11,060 मौतें और 2010-20 के दौरान भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के 1.03 लाख मामले सूचित किए गए हैं। यह बीमारी असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सबसे ज्यादा है।

तात्कालिकता और समस्या की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, 2012 में भारत सरकार ने विस्तृत अंतर-मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से विकसित निवारक, मामले प्रबंधन और पुनर्वास पहलुओं को शामिल करते हुए एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है। जेई/ईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012 में शुरू किया गया था। यह व्यापक कार्यक्रम तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में पेयजल और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य मध्यवर्तनों, जेई टीकाकरण के विस्तार, बेहतर प्रबंधन, चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास तथा बेहतर पोषण जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 19 राज्यों में कुल 171 जिलों की पहचान जेई स्थानिक जिलों के रूप में की गई थी। हालांकि, कार्यक्रम के प्रथम चरण में 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 61 जिलों पर विचार किया गया था।

ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) शुरू किया गया था। एनआरडीडब्ल्यूपी ने एमओएफएचडब्ल्यू द्वारा यथाअनुशंसित उन विशिष्ट गतिविधियों को अनिवार्य किया जिन्हें जेई-ईएस से प्रभावित क्षेत्रों में जेई-ईएस प्रसार को कम करने के लिए शुरू किए जाने की आवश्यकता थी। पेयजल स्रोतों में रासायनिक संदूषण की समस्या और जेई-ईएस से प्रभावित अभिचिह्नित जिलों वाले राज्यों के वार्षिक आवंटन में से एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 5% वार्षिक आवंटन अलग से निर्धारित कर दिया गया था। 2017 में एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन के बाद, जेई-ईएस से प्रभावित 60 अभिचिह्नित जिलों के लिए वार्षिक आवंटन का 2% अलग से रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य को जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) के तहत धन उपलब्ध कराया गया। एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का 3% डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए अलग से आवंटित किया गया था। 2017 में एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन के बाद, डब्ल्यूक्यूएमएस और सहायक गतिविधियों के लिए वार्षिक आवंटन का 5% उपयोग किया गया था। डब्ल्यूक्यूएमएस निधि से जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन कर सकते हैं, क्षेत्र परीक्षण किट और रिफिल की आपूर्ति कर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जमीनी स्तर के श्रमिकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

घरेलू नल जल कनेक्शन से हैंड पंप और पानी की आपूर्ति के अन्य साधनों को बदलने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जल जीवन

मिशन (जेजेएम) की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। मिशन के तहत, जेई-एईएस घटकों के तहत परिकल्पित गतिविधियों को जारी रखने के लिए वार्षिक आवंटन का 0.5% रखा गया है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम), ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक-मध्यवर्तन

जेजेएम के तहत, मौजूदा नीति के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति (सतही/भूजल) की व्यवस्था करके 55 एलपीसीडी के सेवा स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए जेई-एईएस से प्रभावित 61 जिलों में गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा क्योंकि ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। राज्य सभी पूर्ण/चल रही योजनाओं में फेरबदल करके और इसे जेजेएम के अनुरूप बनाकर 2021 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 एलपीसीडी के सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे और इस प्रकार जेई-एईएस अब एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह बीमारी केवल 61 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे 19 राज्यों में 171 जिलों में इसके लक्षण मौजूद हैं और इसी तरह जेजेएम के माध्यम से मध्यवर्तन केवल उच्च प्राथमिकता वाले जिलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए एक आवरण है, जिसमें ये 171 जिले शामिल हैं।

जेजेएम का इरादा बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण गतिविधियों में निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करना है, चाहे वह योजना डिजाइन हो या इसके कार्यान्वयन या जल गुणवत्ता परीक्षण। जेजेएम के तहत, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के तीसरे पक्ष की कार्यक्षमता का नियमित आधार पर मूल्यांकन पीने के पानी की मात्रा, गुणवत्ता को परखने के लिए किया जाता है।

परीक्षण/निगरानी अभियान में ख्यातिप्राप्त निजी परीक्षण प्रयोगशाला सहित और शिक्षण संस्थान को शामिल करके प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को बढ़ाने से संदूषण पर स्रोत की जानकारी का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और तदनुसार समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। जेजेएम के तहत, स्वच्छता सर्वेक्षण करने के लिए पीआरआई को मजबूत और कुशल बनाने, मौजूदा जल आपूर्ति स्रोतों की स्वच्छता स्थितियों के महत्व को प्रसारित करने के लिए आईईसी/बीसीसी उपाय करने के प्रावधान हैं। जल आपूर्ति के अधिक स्रोतों और संवितरण बिंदुओं के तेजी से परीक्षण के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां जेई/एईएस की घटनाओं की बार-बार आवर्ती हुई हैं। इस प्रकार, जेजेएम प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करके समावेशी दृष्टिकोण के साथ सहयोग से देश से जेई-एईएस के रोग के बोझ को खत्म करने का प्रयास करता है।



जेजेएम ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और देखरेख को सक्षम बनाता है

- रचना गहिलोट बिष्ट, एनजेजेएम

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 130 करोड़ भारतीयों की 'कैन डू' भावना की सराहना करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पिछले साल वैश्विक महामारी से लड़ते देखना था। भारत सरकार जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढाँचे प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

गति, पैमाना, स्वास्थ्य वर्तमान सरकार का एकल विचार है क्योंकि वे सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने, हर घर में बिजली, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, धुएं से मुक्त जीवन के लिए हमारी देखभाल करने वाले के लिए चुल्हा बनाने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, सड़क निर्माण और हर घर में नल जल कनेक्शन की योजनाएं चला रही है।

देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। राज्यों के साथ साझेदारी में हर घर जल कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव, स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी की पहुंच है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पानी से होने वाली रोगों से संबंधित बीमारियां जैसेकि पेचिश, टाइफाइड और हैजा अक्सर कई बच्चों को मृत्यु का ग्रास बनती है। पानी की कमी, पानी के स्रोतों की कमी, पानी के दूषित होने और दैनिक जरूरतों के लिए असुरक्षित पानी के उपयोग से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले गरीबों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पाइपगत जल कनेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण घरों में पानी की उपलब्धता होने से हमारे बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य मापदंडों में सुधार होना तय है। बच्चे स्वस्थ जीवन जीएंगे, महिलाओं को पेट और पीठ में दर्द नहीं होगा, जो अक्सर उनके सिर पर पानी के भारी बोझ उठाने के कारण होता है।

कई अध्ययनों से साक्ष्य दर्शाते हैं कि घर में शौचालय और पानी की सुविधा का अभाव प्रारंभिक विवाह और विशेष रूप से किशोर लड़कियों के मामले में पढ़ाई छोड़ने का एक कारण था। परिवारों को युवा लड़कियों की सुरक्षा की चिंता रहती है क्योंकि उन्हें अपने घर के आस-पास के सुरक्षित स्थानों से बाहर निकल कर खुले में शौच करने या एक स्टैंड पोस्ट से पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, जो उनके घर से बहुत दूर हो सकता है। हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध होने से युवा लड़कियां अपनी शिक्षा जारी रखेंगी और महिलाओं को अपने परिवार

ओडिशा के सुदूर गाँव की रहने वाली एक आदिवासी महिला ने नल से पानी लाते हुए खुशी का इजहार किया



पहली बार नल से जल में, पूजा करती आदिवासी महिला



के साथ समय बिताने, अपने बच्चों को शिक्षित करने और अन्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का समय मिलेगा। कार्यक्रम से मिलने वाला एक अन्य लाभ महिलाओं द्वारा किए जा रहे कठिन श्रम में कमी है, क्योंकि वे पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पानी लाने के लिए चिलचिलाती गर्मी में लंबी दूरी तक चलती थी।

केंद्रीय और राज्य सरकार केवल हर घर जल कार्यक्रम के लिए संरक्षक और सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति ग्राम समुदायों के पास है, जो कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मौजूदा जल स्रोतों की मैपिंग करने, जल संरक्षण करने, समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने, उपयोगकर्ता को पानी के शुल्क का भुगतान करने, नियमित अंतराल पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और कार्यक्रम के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे का हर समय रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए हर गाँव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति का गठन किया जा रहा है। जन प्रतिनिधि जैसे संसद सदस्य, विधायक, सरपंच/ग्राम पंचायत सदस्य आदि की जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'कोई भी वंचित न रहे'।

कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं की उन क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं, जिन्हें अन्यथा पुरुषों के लिए माना जाता है जैसे कि राजमिस्त्री, यांत्रिकी, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, तकनीशियन, उपयोगिता प्रबंधक और जल परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं द्वारा सामना किए जाने वाले इन-माइग्रेशन की समस्या का समाधान करना है जो आजीविका की तलाश में अपने क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास से कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम शक्ति के लिए सभी स्तरों पर बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। निर्माण के अलावा भी विभिन्न गतिविधियों में लोग लगे रहेंगे, क्योंकि नियमित मरम्मत, रखरखाव और संचालन की आवश्यकता गाँव-अवस्थित और बहु-गाँव की आपूर्ति योजनाओं के तहत होगी।

वित्त वर्ष 2021-22 के तहत बजटीय आवंटन में वृद्धि होने से यह निधि न केवल ग्रामीण आबादी के लिए एक स्वस्थ जीवन के निर्माण की दिशा में कार्य करेगी, बल्कि आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे बेहतर जीवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 'जीवन जीना आसान' होगा।



सिक्किम स्कूल में छात्र 'करके' सीखते हुए



एक युवा बच्चा अपनी दादी-माँ को घर पर पहली बार नल का पानी लेने में मदद करता हुआ

महाराष्ट्र जलभृत मानचित्रण द्वारा स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करता है

- संजय वी. कराड और इंद्रजीत एम. डाबराव,
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी (जीएसडीए)

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, सतही जल आपूर्ति अपर्याप्त या अनुपलब्ध है, जो भूजल को पानी की आपूर्ति का एकमात्र व्यावहारिक स्रोत बनाती है। धाराएं और नदियां भूजल का स्रोत हैं, विशेष रूप से सूखे या जलवायु परिवर्तन के दौरान, जो खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए जलभृत बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। भारत की कृषि उत्पादन यात्रा - 1950 में खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी अनाज पर निर्भरता से लेकर आत्मनिर्भरता तक - भूजल संसाधनों से जटिल रूप से जुड़ी है। जल संसाधनों की अत्यधिक कमी और इन महत्वपूर्ण संसाधनों की निरंतर बढ़ती मांग के लिए एक तरह से भूजल की पहचान, परिमाण और प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जो प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों की पानी की आपूर्ति की मांग को पूरा करते हुए अतिदोहन और परिणामस्वरूप आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति को रोकता है। सहभागी भूजल प्रबंधन की परिकल्पना की गई है ताकि जमीनी स्तर पर भूजल प्रबंधन में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके ताकि समुदाय और हितधारक, सामान्य-पूल संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन कर सकें।² जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में स्थायी पाइपगत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भूजल निगरानी एक प्रमुख घटक है।


भूजल, जल सुरक्षा की जीवन रेखा बना हुआ है। इसका समाधान करने के लिए, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी संसाधन मानचित्रण पर तत्काल ध्यान दे रही है। भूजल संसाधन मानचित्रण (जिसे अक्सर जलभृत मानचित्रण के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से, जीएसडीए समग्र रूप से अमरावती-पिंपरी निपाणी और ताकली गिल्बा (वर्धा-बेम्बाला नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत) के दो गांवों में पानी की कमी की जांच कर रही है - और खेती की गतिविधियों के लिए जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के तरीकों की पहचान कर रही है।

ऐसे जलभृत की स्थितियों को समझने के लिए जल-भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और हाइड्रो-जियोकेमिकल सहित कई जांच की गई

थीं जो शुष्क क्षेत्रों में उच्च संवेदनशीलता और कम लचीलापन प्रदर्शित करता था। भू-भौतिकीय जांच के माध्यम से जलभृत की मोटाई, परिरोध और संतृप्ति स्तर पाए गए हैं, जबकि हाइड्रो-जियोकेमिकल मूल्यांकन में पानी की गुणवत्ता (धुलनशील ठोस के संदर्भ में) पाई गई, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के भीतर है।

जांच के आधार पर, एक सहभागी भूजल प्रबंधन कार्य योजना तैयार की गई, जिसके तहत 13.36 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली पुनर्भरण संरचनाओं (43 खाइयों, 70 शाफ्ट, 6 गेबियन बांध सहित) के निर्माण किए गए।


इन मध्यवर्तनों के माध्यम से, भूजल स्तर में 1.50 मीटर की वृद्धि देखी गई, जो पहले 3.20 से 14 मीटर तक अलग-अलग थी। पानी की आपूर्ति अच्छी तरह से प्रति दिन 2 घंटे से 8-9 घंटे तक बढ़ जाती है।



सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक

¹ एनआई समाचार लेख: <https://www.aninews.in/news/national/politics/in-this-amravati-village-people-have-to-go-40-feet-down-to-fetch-rinking-water20190608235302/>


² केंद्रीय भूजल बोर्ड: <http://cgwb.gov.in/Participatory-GW-management.html>



रबी फसलों की खेती का क्षेत्र 5 से 300 एकड़ तक विस्तारित है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के उत्पादन और आय में 70% की वृद्धि हुई है। मार्च 2018 में परियोजना की समाप्ति के बाद से, तीन मानसून चक्र बीत चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप जलभृतों में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों की टैंकों पर निर्भरता कम हो गई है।

जीएसडीए, यूनिसेफ की सहायता से सेवाओं और व्यवहारों को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक लचीले हैं। भूजल संसाधनों को लक्षित करने के लिए जल विज्ञान डाटा के उपयोग जैसे नवाचारों को बढ़ाकर, महाराष्ट्र में कृषक समुदायों को आपातस्थिति के दौरान सुरक्षित पानी और अन्यथा स्थितियों में उपलब्ध कराया जाता है। यूनिसेफ महाराष्ट्र, जीएसडीए, महाराष्ट्र सरकार का जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक प्रमुख सहायक भागीदार है।

जेजेएम उपलब्धियां



“हम हर घर नल जल कनेक्शन के प्रावधान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे”

- श्री मलय श्रीवास्तव

? 1

मध्यप्रदेश में 1.23 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से लगभग 33.20 लाख (26%) परिवारों के पास आज की तारीख के अनुसार नल जल कनेक्शन हैं। क्या आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई समग्र रणनीति और योजना के बारे में विचार साझा कर सकते हैं?



हमें अगले 30 महीनों में 80 लाख से अधिक एफएचटीसी को कवर करना है। 2020-21 में वास्तव में हमने मई 2020 के महीने में कार्य शुरू किया था, इसके बाद लगभग 35% जिलों में उपचुनावों के कारण हमें लगभग 1.5 महीने का नुकसान हुआ। तो व्यावहारिक रूप से हमारे पास लगभग 8 महीने रह गए थे। इसके अलावा, प्रमुख कार्य विभाग के सभी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को शामिल करना था, जिसमें ग्राम पंचायतों को जेजेएम के बारे में जागरूक करना था। समान रूप से स्टेट हिस्से फंडिंग उपलब्ध महत्वपूर्ण था। नई और रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए डीपीआर बनाने, अलग-अलग स्वीकृत अनुदान के अलावा, हमने समानांतर रूप से आईएसएसएस, टीपीआई, पीएमयू की खरीद, एनएबीएल प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए कार्य किया। कोविड के कारण, कुल मिलाकर कार्यान्वयन की गति भी प्रभावित हुई। इसलिए संक्षेप में हम उपरोक्त बाधाओं के साथ 2020-21 में 22 लाख से अधिक एफएचसीसी प्राप्त करने की संभावना रखते हैं।

अतः अंकगणितीय रूप से हम $30 \times 2.75 = 82.5$ लाख एफएचटीसी प्राप्त कर सकते हैं जो राज्य सरकार से अपेक्षित निधियन, अनुदान के लिए राज्य सरकार की अनुमति, कार्य पूर्ण करने के लिए अपेक्षित 24-36 महीने में सभी एमवीएस के प्रशासनिक अनुमोदन के अध्यक्षीन है और सबसे महत्वपूर्ण सतही जल स्रोतों की उपलब्धता/व्यवहार्यता है क्योंकि 60% गांव सतही जल स्रोतों के अंतर्गत है।

? 2

2019 में राज्य में धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसमें काफी तेजी आई है। क्या आप इस बदलाव और अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं।



आप सही कह रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि जब मैंने पीएचईडी जॉइन किया था, तब से मध्य मई 2020 से वास्तविक कार्यान्वयन शुरू हो गया था।



एसीएस, पीएचईडी, मध्य प्रदेश

मुझे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के एस एंड एमडी, श्री भरत लाल को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने विभाग में मेरे दूसरे दिन पर ही जेजेएम को विस्तार से समझाया और उसके बाद भी उन्होंने हर स्तर पर मार्गदर्शन और पूर्ण समर्थन सुनिश्चित किया। राज्य स्तर पर, हमने स्थूल नियोजन के लिए कोविड की अवधि के दौरान 5 सप्ताह के लिए हर दिन लगभग 5-6 घंटे एक कोर टीम का गठन किया है और स्मॉट विश्लेषण किए जा रहे हैं और इसके बाद प्रति सप्ताह 2-3 वीसी के माध्यम से उप-इंजीनियरों तक के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों/तथा एनजीओ (यूनिसेफ और डब्ल्यूएएस) माइक्रो-प्लानिंग में सहायता कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री से समग्र मार्गदर्शन और पूर्ण समर्थन के लिए मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया। मैंने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की साप्ताहिक वीसी भी थीं क्योंकि पंचायतों की भूमिका और भागीदारी न केवल कार्यान्वयन के लिए बल्कि पाइप-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

? 3


जेजेएम एक समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है। मप्र में 51 हजार से अधिक गांव हैं। ग्राम कार्य योजना तैयार करने और उनकी स्वीकृति के लिए प्रत्येक गांव तक पहुंचने के लिए समुदाय की भागीदारी प्रक्रिया क्या है?




जैसा कि मैंने एनजीओ की सक्रिय भागीदारी के अलावा ऊपर उल्लेख किया है जो पहले से ही जल क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, हमने जिला और जनपद पंचायतों के सीईओ के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल किया।

वास्तव में हमने जिला पंचायत के सीईओ को डीडब्ल्यूएसएम के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है ताकि वे वीएपी और डीएपी के तैयार में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। इस व्यवस्था ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीडब्ल्यूएसएम द्वारा योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को भी तेज किया गया। मुझे यकीन है कि कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएसएस) की नियुक्ति से जो आंशिक रूप से किया गया है और शेष भी जल्द ही पूरा होने की संभावना है, समुदाय की सहभागिता के साथ-साथ भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।


? 4 राज्य में जल गुणवत्ता प्रभावित मुद्दे, सूखाग्रस्त और जल-तनावग्रस्त क्षेत्र हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या रणनीति है?

 हमने प्रथम चरण में गुणवत्ता प्रभावित गांवों में कार्य शुरू किया है, ताकि इसे प्राथमिकता पर कवर किया जा सके। हम जल प्रभावित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता आधार पर ले रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को सतही जल स्रोतों पर निर्भर रहना होगा।

? 5 क्या आप मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। इसके समाधान में क्या विकल्प मदद कर रहे हैं?

 सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के समतुल्य हिस्से के निधियन की है और इससे कहीं ज्यादा कार्य पूर्ण करने के लिए सभी एमवीएस के लिए अपेक्षित 24-36 महीने हेतु 31/3/2021 से पहले प्रशासनिक स्वीकृति देने की है और सबसे महत्वपूर्ण सतही जल स्रोत की उपलब्धता है क्योंकि 60% गांवों को भूतल जल स्रोत से कवर किया जाना है। इसके अलावा 31.3.2021 से पहले सभी रेट्रोफिटिंग योजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है। कुछ योजनाएं अगले वित्त वर्ष तक चलेंगी।

? 6 पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करना जेजेएम के तहत कार्यक्षमता का एक प्रमुख पहलू है। क्या आप पानी की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित इस दिशा में किए गए उपायों को साझा कर सकते हैं।

 हम चाहते थे कि परीक्षण पूरे राज्य में एक साथ बड़े पैमाने पर जल्द से जल्द हो, इसलिए हमने इस वित्तीय वर्ष में सभी जिला प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता का लक्ष्य रखा, ताकि जैसे-जैसे योजनाएं पूरी होने लगे, हम परीक्षण शुरू कर सकें।

अब चूंकि जेजेएम-शहरी को भी बजट में घोषित किया गया है, इसलिए यह फायदेमंद होगा और इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों के लिए भी किया जाएगा। हमने राज्य भर में अपने सभी लैब तकनीशियनों को महत्व और एनएबीएल मान्यता की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया है। हमने प्रक्रिया को गति देने के लिए सीईओ-एनएबीएल की उपस्थिति में राज्य मुख्यालय में बड़े पैमाने पर एक दिवसीय कार्यशाला भी थी।

? 7 अंत में, आपको क्या प्रेरित करता है जो विशेष रूप से इस मिशन को अपेक्षित गति के साथ व्यापक पैमाने पर पूरा करने का आधार है?

 मेरी पहली प्रेरणा मिशन निदेशक, एनजेजेएम हैं। इसके अलावा, जेजेएम का अंतिम उद्देश्य और आउटपुट है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना विशेष रूप से ग्रामीण परिवार जिसे नल का पानी कनेक्शन मिलता है, की आंखों में खुशी और संतुष्टि देखने के बाद प्रेरणा को बढ़ावा देता है। मुझे लगता है कि यह मिशन विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में सफल होगा और आबादी को पानी से होने वाली बीमारियों से बचाएगा, अतः उनके वित्तीय बोझ को कम किया जाएगा। मुझे यकीन है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस शुभ कार्य को करने के लिए हम सभी को अवसर दिया है। हम इस लक्ष्य को पूरा करने के सभी प्रयास करेंगे।



हर घर जल कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका

जल जीवन मिशन एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और सामुदायिक प्रबंधित कार्यक्रम है जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम जल और स्वच्छता समिति / पानी समिति और प्रयोक्ता समूह, ग्राम अवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस मिशन में ग्राम पंचायत / वीडब्ल्यूएससी / पानी समिति, ग्राम समुदाय को शामिल करते हुए हर घर में सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। कार्यक्रम में हर घर जल योजना के बारे में जागरूकता फैलाने, समुदाय को एकजुट करने और उन्हें सशक्त बनाकर जन आंदोलन में बदलने के लिए संसद सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम कार्य योजना (वीएपी) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), 15वें वित्त आयोग अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), जिला खनिज विकास निधि (डीएडीएफ), सीएसआर निधि, एमपी / एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और सार्वजनिक योगदान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध सभी संसाधनों के अभिसरण की अपेक्षा है।

वीएपी का मसौदा तैयार करने के बाद, इसे समानुक्रमण के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन को प्रस्तुत किया जाता है। संसद सदस्य एक जनप्रतिनिधि होता है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं को उठाता है, इसलिए क्षेत्र में समुदाय के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

संसद के सदस्यों (सांसदों) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जेजेएम की योजना और क्रियान्वयन में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की गई है। इसके मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:

1. संसद सदस्य, कार्य संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन की प्रत्येक बैठक के लिए एक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं;
2. हर तिमाही कार्यक्रम की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि वार्षिक कार्य योजना के तहत यथा प्रस्तावित प्रदेय लाभों के आधार पर इसकी गति का मूल्यांकन किया जा सके और इसकी प्रगति का विश्लेषण किया जा सके;

3. कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते समय बैठकों के दौरान आने वाली बाधाओं को हल करने में जिला कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता की जाती है;
4. कार्यक्रम के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है;
5. जिला / गांवों में एमपीएलएडी और केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम निधियों के अभिसरण को प्राथमिकता दी जाती है;
6. सांसद से परामर्श जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित जिला कार्य योजना के लिए परामर्श लिया जाए। जिला कार्य योजना को लागू करते समय राज्य सभा के सदस्यों से, उस जिले के लिए भी परामर्श लिया जाना चाहिए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं;
7. सांसदों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय समिति (डीआईएसएचए) के सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है;
8. सांसद, इसे प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर जिला कार्य योजना की समीक्षा कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यह माना जा सकता है कि कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए योजना बनाई जा सकती है। यदि संसद सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को जिला योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो सुझाव को लागू करने में बाधाओं को इंगित करते हुए तथा इसका कारण बताते हुए पेयजल और स्वच्छता मिशन की बैठक के कार्यवृत्तों में इसे दर्ज किया जाना चाहिए;
9. किसी भी जिले को हर घर जल यानी 100% एफएचटीसी घोषित करने से पहले संसद के सदस्यों से सलाह ली जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस सुविधा से वंचित नहीं है; और
10. सांसद, जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वित की जा रही जल आपूर्ति योजना के भूमि पूजन या उद्घाटन में हिस्सा ले सकते हैं।

20 से कम घरों को बसावट के रूप में माना जा सकता है

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों में बसावट को "न्यूनतम 20 घरों और/ या 100 व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।" तथापि, पर्वतीय/ आदिवासी और वनाच्छादित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों बहुल बसावटों, जिनमें घरों और/ या व्यक्तियों की कम संख्या कम होती है, को कवर किया जाना है। गांवों/ बसावटों से दूर एकल घरों / फार्म हाउसों के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना जल जीवन मिशन के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाना है।"

कुछ राज्यों ने उल्लेख किया है कि कुछ बसावटों को 'ढाणियों' के रूप में जाना जाता है जिनमें 20 से कम घर होते हैं और हर घर जल कार्यक्रम के तहत कवरेज से वंचित हैं क्योंकि जेजेएम दिशानिर्देशों में उनके लिए प्रावधान नहीं हैं।

इस संबंध में 29 जनवरी, 2021 को स्पष्टीकरण जारी किया गया था और जल जीवन मिशन द्वारा राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को परिभाषित किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 20 से कम घरों और/ या 100 व्यक्तियों वाले बसावटों जो एक राजस्व गांव का हिस्सा हैं, पहड़ी/ आदिवासी और वनाच्छादित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों बहुल गांव और जल संकट-ग्रस्त सूखा क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाकों को भी जल जीवन मिशन के तहत शामिल किया जा सकता है और ऐसे सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है।

चूंकि जल जीवन मिशन एक सार्वजनिक निधि है, इसलिए इसके अनुदान का उपयोग करके जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजस्व गांवों से दूर स्थित स्टैंडअलोन घरों या फार्म हाउसों को पाइप जलापूर्ति नहीं की जानी है।

जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य राजस्व गांवों से दूर एकल घरों / फार्म हाउसों की कवरेज चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वे चाहें तो राज्य निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

तब



अब



"स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली" के लिए आईसीटी ग्रैंड चैलेंज

- प्रदीप सिंह (निदेशक-जेएमएम)

जल जीवन मिशन (जेजेएम), जो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम घरेलू स्तर पर सेवा वितरण पर केंद्रित है, अर्थात् पर्याप्त मात्रा एवं निर्धारित गुणवत्ता में नियमित रूप से जलापूर्ति। इस कार्यक्रम की व्यवस्थित निगरानी में और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण डेटा को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है। जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण से कई समस्याओं को हल करने की संभावना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान और पता लगाने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) की भागीदारी में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने 15 सितंबर, 2020 को एक 'स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' विकसित करने के वास्ते अभिनव, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान बनाने के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। इसे ग्रामीण स्तर पर उपयोग किया जाना है।



आईसीटी ग्रैंड चैलेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सेवा वितरण को मापने और निगरानी करने के लिए स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति इको-सिस्टम बनाने के लिए भारत के जीवंत आईओटी इको-सिस्टम का उपयोग करेगा। यह चुनौती जल जीवन मिशन के लिए काम करने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करेगी।

पूरे भारत से उत्साही भागीदारी देखी गई। एलएलपी कंपनियों, इंडियन टेक स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत इत्यादि जैसी विभिन्न कंपनियों से 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। मूल्यांकन करने और चुनौती के संचालन के लिए एनजेजेएम, एमआईटीवाई, शिक्षाविद, उद्योग, सी-डैक, एसटीपीआई, सीओई आदि के विशेषज्ञों वाली एक जूरी का गठन किया गया था।

आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के पहले चरण के परिणाम नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। जूरी की सिफारिशों के आधार पर, प्रोटोटाइप चरण (चरण 2) के लिए दस आवेदकों का चयन किया गया और प्रत्येक को प्रोटोटाइप के विकास के लिए 7.50 लाख रुपये की निधियन सहायता दी गई।

जूरी द्वारा 8 से 10 फरवरी 2021 तक इन प्रोटोटाइपों का मूल्यांकन किया गया। इन प्रदर्शनों और मूल्यांकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कैम्पस, बेंगलूर में स्थित सी-डैक में एक जल परीक्षण बेड स्थापित किया गया है। इस चरण में जूरी द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य शीर्ष चार प्रोटोटाइप का चयन किया जाएगा, जो उत्पाद विकास के अगले चरण में जाएंगे। प्रत्येक टीम को उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने समाधान का निर्माण करने के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपये का निधियन मिलेगा।

इसके बाद देश भर में प्रति परीक्षण लगभग 25 स्थानों पर क्षेत्र परीक्षण, जांच एवं तैनाती और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मूल्यांकन के आधार पर, एक विजेता और दो रनर-अप चुने जाएंगे और उन्हें क्रमशः 50 लाख रुपये (विजेता) और 20 लाख रुपये प्रत्येक (उपविजेता) को दिए जाएंगे।

सफल डेवलपर्स अपने समाधान को और अधिक कारगर बनाने के लिए एमआईटीवाई समर्थित इनक्यूबेटर/ सीओई में शामिल होंगे। जिन तकनीकों का विकास और प्रदर्शन सफलतापूर्वक हुआ है, उन्हें जीईएम पोर्टल में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इससे आत्म-निर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के विचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।



जल जीवन मिशन: एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

- लैंगिक भूमिका को बदलने वाली प्रेरक कहानी

- देविना श्रीवास्तव, यूनिसेफ

रेशमी और उनके पति अरुण चतुर्वेदी वास्तव में आज के युगल हैं, क्योंकि वे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। दोनों कमा रहे हैं और अपने बच्चे को पालन-पोषण के साथ-साथ घर के कामों में भी समान रूप से योगदान कर रहे हैं। अरुण एक दुकान में काम करके आय प्राप्त करता है जबकि रेशमी एक पंप ऑपरेटर के रूप में काम करती है; जो निश्चित रूप से, एक पारंपरिक समाज के विपरीत है जो हम में से अधिकांश के लिए एक सोच पैदा करता है। यह शहरी भारत की कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव से है, जहां विकास न केवल बुनियादी ढांचे के माध्यम से, बल्कि धीरे-धीरे और निरंतर रूप से लैंगिक बाधाओं को धुंधला कर रहा है।



साइट पर सुश्री रेशमी

रेशमी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांव दुलहरा से ताल्लुक रखती हैं, जहाँ जल जीवन मिशन प्रत्येक घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए पूरी गति से कार्य कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत, मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 तक 100% एफएचटीसी की स्थिति प्राप्त करने की योजना बनाई है।

दुलहरा, मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य ग्रामीण क्षेत्र की तरह है- जहाँ कृषि और पशुपालन आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन इसका एक बड़ा अपवाद है- यहां महिलाएं पारंपरिक लैंगिक असमानता की बाधाओं को दूर कर रही हैं और नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

रेशमी यहाँ अकेली गाँव की महिला नहीं हैं जो समकालीन भूमिका में हैं। यहां की ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) में 8 महिलाएँ और 6 पुरुष हैं, जो गाँव में जल संबंधी कार्य का संचालन

कर रहे हैं। महिला नेतृत्व द्वारा समिति कुशलता से शुल्क संग्रह का प्रबंधन कर रही है, और ग्रामीणों को नल जल कनेक्शन के उपयोग और रखरखाव पर संवेदनशील बना रही है। मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (एमपीजेएनएम) मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के 19 गाँवों को कवर करते हुए एक बहु ग्राम जलापूर्ति योजना (एमवीएस) कार्यान्वित कर रहा है। यह एमवीएस घरेलू नल जल कनेक्शन के माध्यम से 61,294 की अनुमानित आबादी के लिए पीने का पानी प्रदान करेगा। योजना का संचालन और रखरखाव ज़िंदल वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जेडब्ल्यूआईएल) द्वारा वीडब्ल्यूएससी के समन्वय में किया जा रहा है। इन गाँवों के वाल्वों का उपयोग करके वाल्व और मीटर का प्रचालन किया जाता है। कई विकास कार्यक्रमों के तहत गाँवों में महिलाओं की गतिविधियों का दायरा और स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसने राज्य को उन्हें बहु ग्राम योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस पृष्ठभूमि के तहत और प्राप्त निर्देशों के अनुसार, एनआरएलएम में महिला एसएचजी कार्य चालन में भागीदारी के लिए एक प्रायोगिक पहल की योजना मानपुर एमवीएस के प्रचालन व रख-रखाव के लिए बनाई गई थी।

एक और प्रेरक कहानी रेखा प्रधान की है, जो 10 वीं पास आदिवासी महिला है, जो गांव कथार में एक पंप ऑपरेटर के रूप में काम करती है। वह प्रतिदिन भरमिला गाँव में अपने घर से 3 किमी कथार जाती है। उसका पति एक मनरेगा मजदूर है और उसे अपनी पत्नी की इच्छा और कड़ी मेहनत पर बहुत गर्व है। रेखा अपने क्षेत्र की अन्य आदिवासी महिलाओं के लिए एक पथप्रदर्शक है, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए एक मुकाम हासिल करने के लिए कई बाधाओं को पार किया है। रेखा ने कहा, "मैं अपने समाज की अन्य महिलाओं को अधिक सीखाना और प्रशिक्षित करना चाहती हूँ।" मानपुर एमवीएस में कोलार गाँव की एक और पंप ऑपरेटर सुश्री ज्ञानी यादव हैं, जिसे अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करते हुए ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है।

परंपरागत रूप से, महिलाओं को घरेलू पानी के उपयोग और रखरखाव के लिए सबसे अच्छा प्रबंधक माना जाता था। आज, ये महिला पंप ऑपरेटर और वीडब्ल्यूएससी सदस्य इस सोच को और आगे बढ़ा रही हैं। वे जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक हो सकती हैं- किसी भी स्तर पर, विषय के प्रति उनकी संवेदनशीलता उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कुंजी है। मौन क्रांति के लिए जल जीवन मिशन का धन्यवाद।

क्षेत्र से कार्य

छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने 20 से 23 दिसंबर, 2020 के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, राजनंदगांव और जांगिड़-चंपा का दौरा किया। वर्तमान में, राज्य में केवल 12% कार्याशील हर घर नल कनेक्शन (एफएचटीसी) हैं। योजना के अनुसार वर्ष 2023 तक 100% एफएचटीसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लगभग 45.48 लाख घरों में पाइगत पानी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है।

अब तक 64 गाँवों को हर घर जल गाँव घोषित किया गया है और छत्तीसगढ़ में 3 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं।

फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके जल की जांच करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 महिला सदस्य की एक टीम गठित की गई है। एफटीके का उपयोग करने के तरीके पर जांच समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ताकि एफटीके का उपयोग करके, की गई जांच के परिणाम सटीक और विश्वसनीय हों।

अधिकांश गांवों में जल निकायों, तालाबों और आद्र भूमि को भूजल पुनर्भरण प्रणाली से जल स्तर को बढ़ाया जाता है ताकि व्यापक लाभ प्राप्त हो सके। पुनर्भरण प्रणालीजल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करती है।

अधिकांश एकल गाँव योजनाएँ सौर आधारित हैं जो विशेष रूप से संचालन और रखरखाव के कम लागत के साथ दूर दूर की बस्तियों के लिए होती हैं। नियमित रूप से घर तक पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के बाद से ग्रामीणों को नियमित रूप से जल उपयोग शुल्क देने में खुशी होती है।

उत्तर प्रदेश

माननीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य में जेजेएम की आयोजना और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए लखनऊ में 18.01.2021 को एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इससे पहले, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कई समीक्षा बैठकें भी की गई हैं, जिनमें हाल ही में 15.01.2021 को सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में हुई बैठक भी शामिल है। तदनुसार, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक बारह सदस्यीय टीम (प्रत्येक में दो सदस्यों की छह टीम) ने 27-30 जनवरी, 2021 के दौरान उत्तरप्रदेश राज्य के 12 जिलों का दौरा किया, जिनमें जमीनी स्थिति को समझने

में राज्य की टीम की सहायता के लिए प्रमुख मुद्दों का समाधान करने और गांवों में एफएचटीसी कवरेज की योजना के बारे में चर्चा की गई। टीम ने झांसी, ललितपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, चंदौली, कन्नौज, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बागपत और सहारनपुर का दौरा किया।

एनजेजेएम की टीम ने जल निगम और लघु सिंचाई (एमआई) के अधिकारियों के साथ बारह जिलों का दौरा किया। यात्रा का उद्देश्य एफएचटीसी की योजना के बारे में निष्पादन एजेंसियों और जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करना और 100% उपयोग तथा साथ-साथ और जिलों में निष्पादन एजेंसियों की संस्थागत व्यवस्था को समझना था। टीम ने जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता देखने के लिए गांवों और बसावटों का दौरा किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। एनजेजेएम टीम ने आगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में नल कनेक्शन कवरेज का आकलन किया और 100-दिवसीय अभियान के तहत मिशन की प्रगति का मूल्यांकन किया। टीम ने जिला प्रयोगशालाओं का दौरा किया और पीडब्ल्यूएस गांवों में 100% प्रगति हासिल करने के लिए एजेंसियों को प्रेरित किया।

केरल

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की 06 सदस्यीय टीम ने 15-18 फरवरी, 2021 तक केरल राज्य के एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोल्लम, पथानमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम 5 जिलों का दौरा किया और क्षेत्र में कार्यान्वयन को देखने और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।

क्षेत्र दौरा के बाद, टीम द्वारा कुछ टिप्पणियाँ की गई कि 21.42 लाख के लक्ष्य के मुकाबले एफएचटीसी की वास्तविक प्रगति 1.9 लाख (9%) है जिसमें अब तक 2.65 लाख एफएचटीसी प्रदान किए गए हैं। टीम ने राज्यों को संविदा कार्य किए जाने के बाद संविदा करार को तत्परता से करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि कार्यान्वयन समय पर सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा, बार-बार सड़क काटने के कामों और लोगों को असुविधा से बचने के लिए प्रगति में तेजी लाने के लिए एक वार्ड/ बस्ती में नल कनेक्शन कार्य को एक ही चरण में पूरा करने पर जोर दिया गया। 100-दिवसीय विशेष अभियान के तहत प्रगति भी धीमी है, जिसे जमीन स्तर पर और इस पर रिपोर्टिंग में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल

जल जीवन मिशन की एक 10 सदस्यीय टीम ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4-7 फरवरी, 2021 तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया। टीम ने पुरुलिया के गांवों का दौरा किया और बहु-ग्राम योजना के लिए डीपीआर पर तकनीकी जानकारी प्रदान की। यह देखा गया है कि राज्य को 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल पहुंचने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए मौजूदा संरचनाओं का जल्द से जल्द समाधान करने की जरूरत है। बरहामपुर (क्षेत्र) के बीरभूम और नबाग्राम ब्लॉक के पूरे जिले मुर्शिदाबाद जिले के मुर्शिदाबाद-जियागंज (क्षेत्र) ब्लॉक; तथा पूर्वी बर्धमान जिले के केतुग्राम-1 और केतुग्राम-2 ब्लॉकों के लिए 'सतही जल' की डीपीआर का विश्लेषण किया गया।

1,149 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में से, 834 को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई, जबकि शेष 215 का अनुमोदन प्रतिक्षित हैं। 164 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में से, 107 को अनुमोदित किया गया है जबकि 57 को अनुमति की प्रतीक्षा है। मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में बड़ी संख्या में योजनाएं अनुमोदित नहीं की गई हैं। दक्षिण दिनाजपुर और पुरुलिया जिलों में फ्लोराइड के मामले में, बड़ी

संख्या में योजनाएं अनुमोदित नहीं की गई हैं। 20,680 गांवों के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार करने में तेजी लाने की आवश्यकता है जिसके लिए एसएलएसएससी ने पहले की स्वीकृति दे दी है।

असम

दिसंबर, 2020 में एनजेजेएम टीम के पहले दौर के क्रम में, एक अन्य टीम ने असम राज्य में तकनीकी सहायता का विस्तार करने के लिए और साथ ही राज्य में जेजेएम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 7-10 फरवरी, 2021 तक राज्य का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विवेकपूर्ण निवेश पर ध्यान देने के साथ राज्य में मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाना था। 10 सदस्यीय टीम ने प्रतिदिन लगभग 5 गांवों का दौरा किया और पीएचईडी अधिकारियों के साथ मिशन के तकनीकी और अन्य पहलुओं पर चर्चा की। टीम ने ग्राम पंचायतों, वीडब्ल्यूएससी सदस्यों और स्थानीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। दौरे के अंत में टीम ने राज्य मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव, पीएचईडी के साथ चर्चा की। टीम ने कोंवर गांव के कोंवर गांव एकल ग्राम योजना, मयांग ब्लॉक, तितातुला के तितातुला एसवीएस, लाहरीघाट ब्लॉक और बुराबुरी के बुराबुरी एमवीएस, मयांग ब्लॉक का दौरा किया।



केवल पाइप का सपना नहीं

इंडिया टुडे में जेजेएम संबंधी एक लेख

चार वर्षों में भारत @75, हमने क्या हासिल किया है, कहां हमारी कमी रही और हमारी व्यापक संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या कार्यसूची (एजेंडा) निर्धारित करनी है - श्री भरत लाल, एस एंड एमडी (एनजेजेएम)

चार वर्षों में भारत @75, हमने क्या हासिल किया है, कहां हमारी कमी रही और हमारी व्यापक संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या कार्यसूची (एजेंडा) निर्धारित करनी है - श्री भरत लाल, एस एंड एमडी (एनजेजेएम)

15 अगस्त, 2019 को जब भारत अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब देश के 191 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक छह में एक के पास कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध था जिसके माध्यम से उन्हें पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए पीने योग्य जल की आपूर्ति की जा रही थी। अधिकांश को या तो पास के हैंड पंप पर निर्भर रहना पड़ता था या कुएं से पानी लाने के लिए चलना पड़ता था। पानी इकट्ठा करने का बोझ आमतौर पर घर की महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता था, जिससे समय और ऊर्जा की बर्बादी होती थी।

1950 और 60 के दशक में, घरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नए कुओं के निर्माण और पुराने जल स्रोतों के नवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्ष 1972 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ फोकस बदलकर बोरवेल और हैंड पंप प्रदान करने पर चला गया। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया था जिसमें प्रचलित 1.6 कि.मी. के एवज में घर के आधे कि.मी. के भीतर पीने के पानी की आपूर्ति का स्रोत निर्धारित किया गया था।


सदी के बदलते-बदलते यह फोकस क्रमिक आधार पर घरों में पाइप के जरिए सुरक्षित पेयजल को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तित हो गया।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में पुनः चुना गया तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव की भी शुरुआत की, जब उन्होंने जल समस्याओं चाहे वह पीने, सिंचाई अथवा जल संरक्षण का हो, बेहतर समन्वय और तेजी से विकास के लिए जल संबंधी मामलों का संचालन करने वाले अलग-अलग मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति नाम से एक बड़े मंत्रालय का गठन किया। हर घर जल मिशन के लिए उन्होंने 3.6 लाख करोड़ अलग से निर्धारित किए, श्री भरत

लाल, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कहते हैं, “प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल का पानी प्रदान करके एक सुनिश्चित गुणवत्ता और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका उद्देश्य न केवल जीवन यापन को आसान बनाना है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है जिसमें विशेष रूप से घर की महिला सदस्य शामिल हैं”।

हर घर जल कार्यक्रम में पहले ही 33 मिलियन परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम के हर पहलू पर नजर रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जिसमें प्रत्येक पाइप कनेक्शन के जियो-टैगिंग और रख-रखाव के लिए तत्काल अलर्ट के साथ पानी के उपयोग की जांच शामिल हैं। सभी ग्रामीण घरों को भी कार्यक्रम के तहत सम्मिलित सम्मिलित किया गया है ताकि बच्चों को सुरक्षित पानी पानी की पहुंच हो ताकि पानी से होने वाली बीमारियों से संक्रमित न हो। पानी की बर्बादी से बचने के लिए इस कार्यक्रम के तहत ग्रे-वाटर के पुनः उपयोग के लिए कृषि अथवा उद्योग के लिए शोधन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन रोजगार सृजन उपलब्ध करा रहा है जिससे इस योजना के तहत सैंकड़ों-हजारों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मिशन निदेशक कहते हैं “नल का पानी प्रदान करने का हमारा इरादा न केवल ‘जीवन यापन की सुगमता’ को सुनिश्चित करना है बल्कि महिलाओं के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है”।



बजटीय आवंटन पर मीडिया ब्रीफिंग

जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, श्री पंकज कुमार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट परियोजना के बारे में मीडिया को जानकारी दी कि यह आवंटन 7 हजार 262 करोड़ से बढ़कर 9 हजार 22 करोड़ हो गया है।


उन्होंने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए बजटीय आवंटन में 50 हजार 11 करोड़ तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, साथ ही 15वें वित्त आयोग से 36 हजार 22 करोड़ रुपये का सशर्त अनुदान जल और स्वच्छता के तहत उपलब्ध है। मंत्रालय, गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित कर रहा है। अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, श्री भरत लाल ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक की

योजना, अनुमोदन और प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। गांवों में पानी की आपूर्ति को मापने और निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे समाधान विकसित किए जा रहे हैं। एनजेजेएम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है और घरों में पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पोर्टेबल घरेलू जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरण विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए जल का स्रोत और अंत-प्रयोक्ता केंद्रों पर नियमित रूप से जांच की जाती है, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को परीक्षण और प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की जा रही है और इन्हें मामूली दरों पर जल की जांच के लिए सार्वजनिक रूप से खोला जाएगा।



जेजेएम के लिए बजट आवंटन (₹ करोड़ में)




केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से गोबर योजना को बढ़ावा देने और वास्तविक समय की प्रगति को ट्रैक करने के लिए गोबरधन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया।

केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से गोबर योजना को बढ़ावा देने और वास्तविक समय की प्रगति को ट्रैक करने के लिए गोबरधन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री रतन लाल कटारिया ने संयुक्त

रूप से 3 फरवरी, 2021 को केंद्रीय मंत्री, कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास श्री नरेन्द्र सिंह तोमर; पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धमेन्द्र प्रधान और मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में गोबरधन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया।

[...आगे पढ़ें](#)



जल संसाधन विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार ने इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव के वर्चुअल (आभाषी) 6वें सम्मेलन और फिक्की वाटर आवाइस के 8वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि पानी की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका

निराकरण करना समय की जरूरत है। “हर समस्या एक अवसर है। जल संसाधनों के प्रबंधन ने भारत में हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा है क्योंकि जल प्रशासन को देश के विकास के एजेंडे में सबसे आगे रखा गया है।”



जल शक्ति मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा जीवन परिवर्तन 'जल जीवन मिशन के कार्यक्रम' के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा बैठक

जल शक्ति मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 11 फरवरी, 2021 को माननीय केन्द्रीय जल मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई। जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया भी इस बैठक में उपस्थित थे। 18 संसद सदस्यों ने बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति पर आयोजित चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सांसदों ने कोविड -19 महामारी के बावजूद नल से पानी के कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के लिए की गई प्रगति के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के प्रयासों की सराहना की और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मिशन कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी, 2021 को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोडमैप के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श के लिए वेबिनार को संबोधित किया



इस वेबिनार में 200 से अधिक पैनल सदस्यों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी, विनिर्माता, रियायतकर्ता और ठेकेदार, सलाहकार और विषय विशेषज्ञ शामिल थे। पैनल सदस्यों ने उन्नत प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने और क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास की गति और गुणवत्ता में सुधार के संबंध में अपने विचारों को साझा किया।

इस वेबिनार के बाद दो समानांतर ब्रेकआउट सत्र हुए जिसमें बजट दृष्टि के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने और कार्यान्वयन रोडमैप का मसौदा तैयार करने के लिए कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं की एक सूची को संकलित करने के लिए मंत्रालयों और पारस्परिक विशेषज्ञों के समूहों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा शामिल थी। इस चर्चा के दौरान अंतिम कार्यनीति के कार्यान्वयन पर हितधारकों के साथ योजना भी बनाई गई है।

जल जीवन मिशन पर समाचार लेख

हरियाणा के इन गांवों में, पीएम मोदी के नल से जल ने महिलाओं के लिए एक दर्दभरी रोजमर्रा की पीड़ा को समाप्त कर दिया है

कुरुक्षेत्र, करनाल: कुछ लोगों के लिए, 50 वर्षीय फूलकली का जीवन में परिवर्तन की वृद्धि दिखाई दे सकता है।

अपने छोटे से खेत में काम करते हुए, अपने दो कमरे के घर से कुछ गज की दूरी पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बल्लाही गाँव के निवासी प्रायः खुश हैं। करीब दो दशक से फूलकली अपने परिवार की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निकटतम आपूर्ति केंद्र से बाल्टी से पानी ला रही थी, जो उनके घर से लगभग 400 मीटर दूर था।

यह दूरी इतनी ज्यादा नहीं हैं, लेकिन दो लोगों की मां केवल यही कहती हैं कि पिछले दो दशकों से दिन में दो बार पानी की बाल्टी उठा रही है, यह समझने में आसानी होगी कि प्रशासन द्वारा केंद्र से चलाए जा रहे 'नल से जल' कार्यक्रम के तहत, उनके घर तक जल आपूर्ति किए जाने के बाद पिछले तीन महीनों में उनका जीवन कैसे बदल गया है।

"बाल्टी छूट गया (मुझे अब पानी की बाल्टी उठाने की ज़रूरत नहीं है)," फूलकली बताती है, "आप नहीं जानते कि यह कितना बड़ी कृपा है। हर एक दिन, बारिश हो या ठंड, मुझे पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था।

"फूलकली का घर बल्लाही गांव में 35 घरों में से एक है, जिसे हाल ही में पीने का पानी का कनेक्शन मिला है, जो कुरुक्षेत्र के पांच जिलों में से एक है, यहाँ 1.39 लाख ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक को अब एक कार्यशील नल कनेक्शन मिल गया है। [...आगे पढ़ें](#)

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में, नल से जल की सभी ग्रामीण घरों में पहुंच

मैदानी इलाकों के निवासियों का कहना है कि हर घर नल से जल ने उन समस्याओं को हल करने में मदद की है जिसका वे पहले सामना करते रहे हैं, लेकिन गांदरबल जैसे ऊँचाइयों में रहने वाले लोग जल प्रेशर से खुश नहीं हैं।

गांदरबल: गांदरबल के एक व्यवसायी शाहीन अहमद को इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के हर घर नल से जल कार्यक्रम – जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पीने के पानी की आपूर्ति

सुनिश्चित करने का प्रयास है - ने जिले में चीजों को बेहतर बना दिया है।

गांदरबल में कंगन के सरपंच, मंजूर अहमद लोन का भी यही मत है।

[...आगे पढ़ें](#)

ग्रामीण पंजाब में, नल से जल न केवल पानी लेकर आया है, बल्कि 'खाली समय' होने से आराम भी है

रूपनगर: पंजाब के रूपनगर जिले के डुमना गाँव के बाहरी इलाके में रहने वाली 43 वर्षीय जसवीर कौर के पास अचानक एक ऐसी आरामदायक जिंदगी है, जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार की 'हर घर नल से जल' योजना से अपने खुद के घर में आरामपूर्वक दिन में दो बार पानी की सुनिश्चित सुलभता होने से लंबे, दर्दभरे संघर्ष को अलविदा कह दिया है।

"उन्होंने कहा कि मेरे घर में पानी की आपूर्ति काफी अनियमित थी ... मेरे सबमर्सिबल (पंप) की मोटर हर दूसरे दिन जल जाती थी, जिसके बाद मुझे पड़ोसियों से पानी माँगना पड़ता था, "उसने द प्रिंट को बताया "कभी-कभी वे सहमत होते थे और कभी-कभी वे मना कर देते थे, जिससे दिन-प्रतिदिन मेरे जीवन व्यस्त बना दिया था क्योंकि मेरे काम में देरी हो रही थी।"

नल से जल कार्यक्रम जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति पाइपलाइनों से जोड़ना है, के तहत नल के पानी के कनेक्शन के लिए उन्हें 175/-रुपए का मासिक शुल्क का भुगतान करना होता है, लेकिन कौर इस व्यय के बारे में नहीं सोचती है।

कौर ने कहा, "दिन में दो बार के नल से पानी की आपूर्ति ने मेरा जीवन बदल दिया है क्योंकि मैं अन्य कार्यों तथा अधिक उत्पादक चीजों को करने के लिए समय निकाल सकती हूँ।" [...आगे पढ़ें](#)



ThePrint

जल जीवन संवाद



हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और यह महत्वपूर्ण है कि वे स्वस्थ और मजबूत रहें। मोदी 1.0 में स्वच्छ भारत मिशन की तरह जल जीवन मिशन, मोदी 2.0 में जमीनी स्तर पर जीवन बदल रहा है।

2 अक्टूबर, 2020 को आंगनवाड़ियों और स्कूलों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 100-दिवसीय अभियान शुरू किया गया था।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार



फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करे



Jal Jeevan Mission, India



@jaljeevan_



Jal Jeevan Mission



@jaljeevanmission



jjm.gov.in



Jal Jeevan Mission

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली – 110 003
ई-मेल: njjm-ddws@gov.in

प्रधान संपादक: श्री भरत लाल, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, एनजेजेएम

संपादक: मनोज कुमार साहू, निदेशक

संपादकीय टीम: रचना गहिलोत बिष्ट, देविना श्रीवास्तव, अमित कुमार रंजन, स्मृति कोलिपाका, डिजाइन- नेहा अंजलि और आरीफ खान
@जलजीवनमिशन- 2021